रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1976/फाल्गुन 11, 1897
No. 74 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1976/PHALGUNA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1976

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 88/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts vacuum and gas-filled bulbs, falling under sub-item (1) of Item No. 32 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof :—

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
1	2	3
1.	Krypton or Argon gas filled Bulbs (Lamps) for Miner's Cap Lamps.	Nil
2.	Visual Indicator Lamps used in telephonic and telegraph switch boards and for allied purposes.	11 per cent *ad valorem*

1	2	3
3.	Miniature Bulbs	11 per cent *advalorem*
4.	Bulbs not exceeding 60 watts of the type known as Tungsten Filament Incandescent Lamps for general lighting purposes with rated voltage of 110V and above, when produced by an industrial unit where the capital invested on the plant and machinery installed in such unit does not, in the opinion of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise, exceed three lakhs of rupees.	Nil
5.	All other vacuum and gas filled bulbs not exceeding 60 watts.	*15 per cent advalorem*

Explanation 1.—For the purpose of this notification, 'Miniature Bulbs' shall mean only such bulbs or lamps (excluding Krypton or Argon gas filled Bulbs (Lamps) for Miner's Cap Lamps) which have the following wattage and dimensions, namely:—

(i) wattage not exceeding 6 watts;

(ii) length less than 30 mm (nominal); and

(iii) diameter less than 18 mm (nominal).

Explanation 2.—For the purpose of determining under this notification the classification and nomenclature of bulbs or lamps or, as the case may be, the wattage, length or diameter of bulbs or lamps, the definition as well as the procedure for testing, including allowances for tolerances, as prescribed in the Indian Standard Specifications shall be adopted.

[No. 42/76]

R. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1976

सा० का० नि० 104 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 88/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 32 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के निर्वात तथा गैस-पूरित बल्बों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्तंभ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क से अधिक है,

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
1	2	3
1	माइनर्स कैप लैम्पों के लिए क्रिप्टन या आर्गन गैस पूरित बल्ब (लैम्प)	शून्य

1	2	3
2	टेलीफोन और टेलीग्राम स्विच बोर्डों में और सहबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दृश्य सूचक लैम्प ।	11 प्रतिशत मूल्यानुसार
3	मिनिएचर बल्ब	11 प्रतिशत मूल्यानुसार
4	साधारण प्रकाश के प्रयोजनार्थ टंगस्टन फिलामेन्ट इनकैन्डीसेन्ट लैम्पों के रूप में ज्ञात प्रकार के 60 वाट से अनधिक के बल्ब जिनकी अनुमत वोल्टता 110 वोल्ट और उससे अधिक है, जब वे ऐसे औद्योगिक यूनिट द्वारा उत्पादित हों, जहां यूनिट में प्रतिष्ठापित संयंत्र और मशीनरी पर विनिहित पूंजी ऐसे अधिकारी की राय में जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर से निम्न पंक्ति का अधिकारी नहीं है, तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है ।	शून्य
5	60 वाट से अनधिक के सभी अन्य निर्वाचित और गैस पूरित बल्ब ।	15 प्रतिशत मूल्यानुसार

स्पष्टीकरण:—(1.) इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ मिनिएचर बल्बों से, माइनर्स कैप लैम्पों के लिए, क्रिप्टन या आर्गन गैस-पूरित बल्बों (लैम्पों) को अपवर्जित करके, केवल ऐसे बल्ब या लैम्प अभिप्रेत हैं जिनकी वाटता और लम्बाई चौड़ाई निम्नलिखित है, अर्थात:—

(i) 6 वाट से अनधिक वाटता ;

(ii) 30 एम एम (अभिहित) से अनधिक लम्बाई ;

(iii) 18 एम एम (अभिहित) से अनधिक व्यास ।

स्पष्टीकरण —(2.) इस अधिसूचना के अधीन बल्बों या लैम्पों का वर्गीकरण और नाम या यथास्थिति बल्बों या लैम्पों की वाटता लम्बाई या व्यास अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो भारतीय मानक विनिर्देशों में विहित परिभाषा तथा परीक्षण के लिए प्रक्रिया, जिसमें सहायता के लिए ब्यूरो भी सम्मिलित है, अपनाई जाएगी ।

[सं० 42/76]

आर० के० चक्रवर्ती, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976